

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-लेखा/विविध/2019/ 1450

दिनांक 27/11/19

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
जोन जयपुर/अजमेर/उदयपुर/  
भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा।

विषय :- विशेष उद्देश्य (योजनाओं) के लिए खोले गये बैंक खातों में से डोरमेट बैंक  
खातों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक 1203-1350 दिनांक 25.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ  
कार्यालयों में संचालित विशेष उद्देश्य (योजनाओं) के लिए खोले गये बैंक खातों में से  
डोरमेट बैंक खातों में जो राशि अवशेष है, को संबंधित राजकोष में जमा करवाते हुए इस  
पत्र प्राप्ति के 03 दिवस में निर्धारित प्रपत्र में इकजाई संकलित सूचना भिजवाये जाना हेतु  
निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि आज दिनांक तक भी आपके स्तर से उक्त  
वर्णित वांछित सूचना नहीं भिजवायी गई है, जिसके कारण इस सूचना को राज्य सरकार  
को समयवधि में नहीं भिजवाया जा पा रहा है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त वांछित सूचना निर्धारित  
प्रारूप में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना को इकजाई संकलित कर  
वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय की मेल आईडी [famh-rj@nic.in](mailto:famh-rj@nic.in) पर 02-03 दिवस में  
आवश्यक रूप से भिजवायें, ताकि प्राप्त सूचनाओं को संकलित किया जाकर वित्त विभाग  
के समय पर भिजवाया जा सके।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक :

क्रमांक:-लेखा/विविध/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वर्णित पत्र से वांछित  
सूचना को इकजाई कर शीघ्रातिशीघ्र भिजवायें।
5. समस्त क्षय रोग/ कुष्ठ रोग अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर  
पत्र को अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर